कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–36 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. देवी खटिक पुत्र भगौती नि0 दुल्हापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–111/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विकास सोनकर पुत्र राम सजन सोनकर नि0 नयन जोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–111/21, 02. रामकरन पुत्र झिनकऊ नि0 तुलसीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–112/21, 03. संचित पुत्र जवाहिर नि0 पल्टीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–113/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. द्वारिका प्रसाद पुत्र स्व0 भग्गन नि0 धनौली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 19 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–233/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद के थाना इटियाथोक पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त साबिर अली शाह पुत्र वाजिद अली नि0 परसिया बहोरीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक में पंजीकृत कर मु0अ0सं0–97/21, 324.323.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने जमीनी विवाद के चलते दिनांक 24.03.2021 को वादी नासिर अली शाह पुत्र शाकिर अली नि0 परसिया बहोरीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के भाई शाहिद अली को मारपीट कर घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त आरिफ पुत्र अकरम नि0 चेतपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना करनैलगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–133/21, धारा 379.411 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त 26/27.03.2021 की रात्रि ओम नमः शिवाय सेवा संस्थान से एमप्लीफायर, इन्वर्टर व दानपेटिका चोरी करके ले जा रहा था कि रास्ते में ग्रामवासियो द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़कर थाना करनैलगंज पुलिस को सुपुर्द किया था। करनैलगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त राहुल यादव पुत्र लल्लू यादव नि0 सलौनी डीहा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–35/21, धारा 363.366 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 25.02.2021 को थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध लडकी के पिता द्वारा थाना परसपुर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर खास की सूचना पर भौरीगंज पुल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

छेड़छाड व मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने छेडछाड व मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त रिजवान पुत्र मेराज नि0 शिनाह चन्द्र थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–89/21, धारा 354.504.506.452.323 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 24.03.2021 को थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ छेडछाड किया था, लड़की द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा गाली–गुप्ता देते हुए घर में घुसकर मारा–पीटा था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना तरबगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।